



अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश शासन के अधिनियम 2011 द्वारा स्थापित राज्य विश्वविद्यालय)

ग्राम मुगालिया कोट (सूखी सेपनिया) विदिशा रोड, भोपाल (म.प्र.)-462010

दूरभाष : 0755-2558606, वेबसाइट : www.abvhu.edu.in, अणुडाक : abvhu@rediffmail.com

क्रमांक / अ.के. / 1575 / 2024 / अविवाहिवि. /

भोपाल, दिनांक 10/06/24

// आदेश //

अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा संचालित अध्ययन केन्द्रों हेतु गठित परामर्शदात्री परिषद् की बैठक दिनांक 05.06.2024 में हुए निर्णय के आधार पर अध्ययन केन्द्रों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को सैद्धांतिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात तीन माह की ईन्टर्नशिप/प्रशिक्षण पंजीकृत चिकित्सालय/क्लिनिक से की जाना अनिवार्य है। इस हेतु सभी विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र सलग्न प्रारूप में प्रदान किया जाना अनिवार्य है।

सलग्न - प्रारूप

आदेशानुसार

(शैलेन्द्र कुमार जैन)

कुलसचिव

क्रमांक 1576 अ.के. / 2023 / अविवाहिवि. /

भोपाल, दिनांक 10/06/24

प्रतिनिधि -

1. निज सचिव के माध्यम से मा.कुलपतिजी की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव के माध्यम से मा.कुलसचिव की ओर सूचनार्थ।
3. अध्ययन केंद्र प्रभारी/समिति के अध्यक्ष सचिव की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. आदेश पुस्तिका।

कुलसचिव

अचल